| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>241/ग्रा०प०/2023<br>रामकिशन vs दुर्गालाल | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28/6/24 | पत्रावली पेश हुई। जबाव अप्रार्थीगण पेश किया जो शामिल मिसल है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि ग्राम औधन्धा के खाता संख्या 70 में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज होना अंकित करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का सही नाम रामकिशन पुत्र गोपीलाल है। प्रार्थी का नाम ग्राम औधन्धा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 70 में राधाकिशन दर्ज हो जाने से उसे किसी भी प्रकार की सरकारी सहायताओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राधाकिशन के स्थान पर रामकिशन दर्ज किया जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जबाव अप्रार्थीगण का अवलोकन किया।<br><br>प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड संख्या 376627447632, जन आधार संख्या 4842170232, स्थाई लेखा संख्या कार्ड FZKPR6551P, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र संख्या LYX0953653 व ग्राम पंचायत प्रमाण, ड्राईविंग लांइसेंस, परिवार राशन कार्ड प्रस्तुत किये है जिनमें प्रार्थी का नाम रामकिशन पुत्र गोपीलाल अंकित है। जबाव अप्रार्थीगण में प्रार्थी का नाम राधाकिशन के स्थान पर रामकिशन पुत्र गोपीलाल शुद्ध दर्ज किया जाना उचित बताया है। एवं तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट भी पूर्व में खाता संख्या 21 में राधाकिशन के स्थान पर रामकिशन पुत्र गोपीलाल शुद्ध दर्ज किए जाने के आदेश इसी न्यायालय से दिया जाना व प्रार्थी का सही नाम रामकिशन पुत्र गोपी होना अंकित किया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।<br><br>अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 70 ग्राम औधन्धा पटवार मण्डल औधन्धा में दर्ज प्रार्थी का नाम राधाकिशन पुत्र गोपी के स्थान पर शुद्ध कर रामकिशन पुत्र गोपी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>हिण्डोली | |